

2565

Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

D-41, Kausambi (Ghaziabad)

No.: API/2007-08/219

27.03.2008

The Sr. Vice President & Co. Secretary
Ansal Properties & Infrastructure Ltd.
New Delhi

Sir,

Please find enclosed herewith Original Sale Deed of HT Dadri Project. The details of Sale Deed are as under :-

- 1) Sale Deed No. : 249/2724
- 2) Date of Execution : 07.03.2008
- 3) Cost of Land : 23,50,000/-
- 4) Stamp Paper Used : 1,88,000/-
- 5) No. of Pages : 16
- 6) Name of Sellers/POA Holder : Sh. Raj bir S/o Sh. Mansha
R/o. Village : Chamraoli Ramgarh
Pargana & Tehsil : Dadri
Distt.: Gautam Budh Nagar
- 7) Name of Purchaser : Sh. Krishan Kumar S/o Sh.Om Prakash
R/o. Village : Tugal Pur
Tehsil & Distt.: Gautam Budh Nagar
- 8) Area : 0.2340 Hect.

Kindly acknowledge receipt.

Thanking you

Yours Truly


(G.R. Tyagi)
DGM (Land)

Encl.: As above

CC : Executive Director, Business Development for information


31.3.08

I 2724

2565

249



Notary Public
G. B. NAGAR
DISTT. G. B. NAGAR

004240

विक्रय-पत्र

बैनामा अंकन 23,50,000/- रुपये।

स्टाम्प अंकन 1,88,000/- रुपये।

विवरण विक्रय सम्पत्ति:- कृषि भूमिधरी के चक संख्या 367 के मूल खेत नं० 101मि० रकबा 3-14-0 पुख्ता का 1/4 भाग सम्पूर्ण अपना बकदर 0-18-10 पुख्ता भूमि को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर।

नि० राजकीर

अ० उ०



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं० 125/00 15/00

स्टाम्प नं० 125/00 15/00

कृष्ण कुमार 510 योगपुर

मि. उगलपुर

23,50,000/- 5000/-

धनामा फीस रति०
उत्तरत योग 50 25/ शब्द लगभग 600
श्री- राजकी
पुत्र श्री- पेशा
निवासी
ने कार्यालय सब रजिस्ट्रार दादरी जिले
गौतम बुद्ध नगर में आज बिनौक 7/3/08
समय मध्य 11 व 5 बजे प्रस्तुत किया।

मि. राजकी

मि. रजिस्ट्रार दादरी
7/3/08

इस लेखपत्र का संपादन एवं इसमें लिखे

जो बिल नं० 23,50,000/- (अमरा हेलो आगार)

जिसमें से श्री राजकी इत्यादि उक्त

के वं
81 नमो प्रजा 21 मि. उगलपुर (राजकी)
क हेलो आगार





2

विक्रेता एवम् क्रेता दोनों अनुसूचित जाति एवं जनजाति से है।

विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे व भूदान पट्टे आदि की नहीं है।
संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है।

विक्रीत भूमिधरी भूमि जिसका सर्किल रेट 35,00,000/- रुपये प्रति
हैक्टेयर का है। किन्तु क्रेता द्वारा सर्किल रेट का दोगुना करके तथा
उससे भी अधिक पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

नरेश्वरी

श्री 60/कुमा

कार्यालय लखनऊ नगरपालिका
कायदा

7 MAR 2008

स्टाम्प नं० १२३ नु १२३४

स्टाम्प नं० १२३ नु १२३४

जिनका फलान श्री हिलोर्न
पुत्र श्री गोमपा/२१ पेश जेरी
नियती २१/०५/२००८
व श्री पान कि
पुत्र श्री गिबानि पेश जेरी
नियती गोमपा/२१
ने श्री गोमपा/२१

सब गिबानि देदरी
7/2700)

गिबानि/२०

गोमपा/२०

हिलोर्न

साक्षात् भल प्रकृत हल हे वि
अंगुठा नियमानुसार लिये गां

मार्क
अ निबन्ध
करी, गौतम -



3

विक्रीत भूमि किसी जी०टी०रोड, राज्य रोड अथवा लिंक रोड पर स्थित नहीं है

विक्रीत भूमि की बाबत क्रेता व विक्रेता दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा माहदा वय पंजीकृत नहीं हुआ है।

निराकारी



मुद्रांक



कार्यालय उप कोषागार
दायरी

7 MAR 2008

स्वयं नं० 124 ल० 124
स्वयं नं० 122 में शामिल किया गया
उप रोक दिया

उत्तर प्रदेश





4

हम कि राजबीर पुत्र श्री मंशा जाति जाटव निवासी ग्राम
चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील -दादरी, जिला-
गौतमबुद्धनगर (विक्रेता, फरीक अव्वल)।

एवम्

कृष्ण कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति कोरी, निवासी ग्राम
तुगलपुर, तहसील व जिला- गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश)
(क्रेता फरीक दोयम)।

नरेश/पुत्री

जयरा सुवाल

कार्यालय उप कोषागार
बादरी

7 MAR 2008

स्वयं नं० 125... 157...
स्वयं नं० 125... में शामिल किया गया
उप रोकथाम

548800

UTTAR PRADESH

आपका निवेदन कि आपने कि...
... (आपका निवेदन कि आपने कि...)

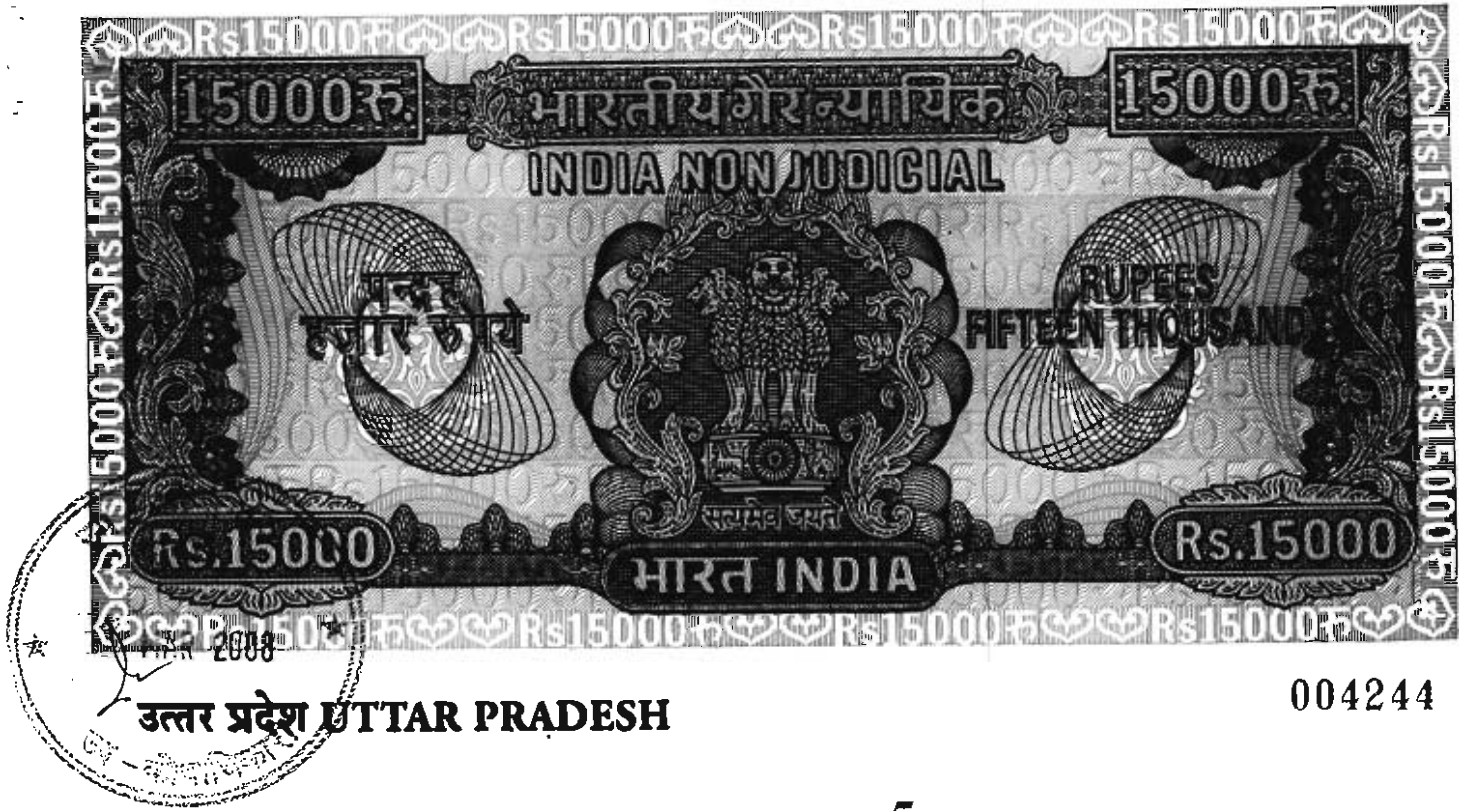
महोदय

आपका निवेदन कि आपने कि...
... (आपका निवेदन कि आपने कि...)

...

...





5

विदित हो कि कृषि भूमिधरी के चक संख्या 367 के मूल खेत नं० 101मि० रकबा 3-14-0 पुख्ता का 1/4 भाग सम्पूर्ण अपना बकदर 0-18-10 पुख्ता भूमि को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर, जिसका फरीक अव्वल एकमात्र मालिक व संक्रमणीय भूमिधर स्वामी है।

निर्देशावली



मुद्रा अमल



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्वयं नं० 121...सु० 154...
स्वयं नं० 122...में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

112100

उत्तर प्रदेश

प्रति श्री श्री १०० नं० १०० के अन्तर्गत निम्नलिखित को लिखित
प्रमाणित किया जाता है कि श्री १०० नं० १०० के अन्तर्गत निम्नलिखित
प्रमाणित किया जाता है कि श्री १०० नं० १०० के अन्तर्गत निम्नलिखित
प्रमाणित किया जाता है कि श्री १०० नं० १०० के अन्तर्गत निम्नलिखित
प्रमाणित किया जाता है कि श्री १०० नं० १०० के अन्तर्गत निम्नलिखित

जिम्मेदार

जिम्मेदार





6

जोकि आज दिन तक फरीक अव्वल की ओर से हर प्रकार के भार, बंधक आदि से पाक साफ व सुरक्षित है। यानि कि किसी भी स्थान पर आड़, रहन, बय, हिबै, माहदाबय, जमानत आदि से ग्रस्त नहीं है तथा उपरोक्त भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद विवाद

नरेश कुमार

महेश कुमार

7 MAR 2008

स्तम्भ नं० १२७ त्त० १० नमि
 स्तम्भ नं० १२२ नै शामिल किया गया
 उप रोक दिया

202,500

2677 11th UTAR PRADISH

5/14/18 10:30

2015





7

विचाराधीन नहीं है तथा फरीक अब्बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हकदार या हिस्सेदार नहीं है। कोई कारण बाधा का उपरोक्त भूमिधरी भूमि को विक्रय करने में नहीं आता है। अतः फरीक अब्बल ने अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा में खूब सोच समझ कर

नरि टाफ्वा



कृष्ण कुमार



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

7 MAR 2008

स्टाम्प नं० 108 रु० 100
स्टाम्प नं० 108 में शामिल किया गया
उप रोका दिया

001546

UTTAR PRADESH

कृपया नोट करें कि यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त
प्रमाणित किया गया है कि यह प्रमाणित किया गया है कि यह प्रमाणित किया गया है
कि यह प्रमाणित किया गया है कि यह प्रमाणित किया गया है कि यह प्रमाणित किया गया है

प्रमाणित किया गया है

प्रमाणित किया गया है





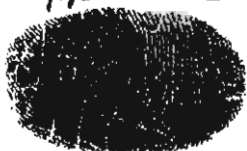
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004247

8

बिना किसी दबाव व बहकाव के उक्त भूमि को सर्व अधिकार सहित आज की बजार कीमत के बदले अंकन रुपये 23,50,000/- (तेईस लाख पचास हजार रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन रुपये 11,75,000/- होते हैं मैं इसी समय से हाथ उपरोक्त फरीक दायम को बेच दी तथा कतई वय कर दी तथा समस्त विक्रीतधन अर्थात् भूमि की

नरेश चन्द



अरुण कुमार



कार्यालय उप कोषागार
दाखरी

7 MAR 2008

स्यम् नं० 129... रु० 1000...
स्यम् नं० 122... में शामिल किया गया
उप रोक किया

8

होना अर्थात् इस कि मीर सहा के अन्तर्गत 1000 रु. (एक हजार रुपये) की राशि का भुगतान किया गया है।
1000 रु. (एक हजार रुपये) की राशि का भुगतान किया गया है।
1000 रु. (एक हजार रुपये) की राशि का भुगतान किया गया है।
1000 रु. (एक हजार रुपये) की राशि का भुगतान किया गया है।
1000 रु. (एक हजार रुपये) की राशि का भुगतान किया गया है।

जारी किया गया

जारी किया गया





9

कुल कीमत निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करके बेची भूमि को कब्जे अधिकार अपने से फरीक दायम में देकर उस पर फरीक दायम को अपने ही समान मालिकाना मालिक काबिज व दखिल कर दिया है। अब बैय किये पश्चात विक्रीत भूमि के किसी भी अंश से फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल का कोई वास्ता या ताल्लुक किसी भी किस्म

निर्वाहकर्ता



शुद्धा सुभा



-7. MAR 2008

स्टाम्प नं० 136 रु० 1500
स्टाम्प नं० 122 में शामिल किया गया
उप रोकदिया

845200

उत्तर प्रदेश

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय





10

का शेष नहीं रहा है तथा ना ही भविष्य में होगा। कब्जा मौके पर फरीक दोयम को बहैसियत मालिक पूर्ण रूप से करा दिया है। अब आज की तारीख से ही फरीक दोयम को सर्वथा हक व अधिकार होगा कि वह खरीदकर्ता कृषि भूमिधरी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग मालिकाना

निर्णय

रुक्मिणी

कार्यालय उप कोषागार
दायरा

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं० 132 रु० 15000
स्टाम्प नं० 122 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

004340

10

महोदय, आपसे मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ।
आपके पत्र पर मैंने उत्तर दिया है। मैंने आपको
आपके पत्र पर उत्तर दिया है। मैंने आपको
आपके पत्र पर उत्तर दिया है। मैंने आपको

आपका पत्र

आपका पत्र





उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

004250

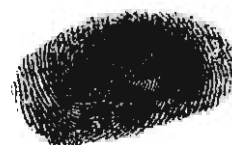
11

अपने में लाकर चाहे जिस प्रकार से मालिकाना लाभ उठावें। यदि विक्रीत भूमि का कोई अंश किसी भी नुकश कानूनी कमी आदि के कारण से कब्जे मालिकाना क्रेता फरीक दोयम से निकल जावेगा या कब्जा फरीक दोयम को न मिले या फरीक अव्वल मालिकाना मालिक हस्ताक्षरकर्ता सिद्ध न हुआ या अन्य किसी कारण से कब्जे मालिकाना

निष्ठापूर्वक



सुभाष



कार्यालय उप काशीनाथ
बावरी

7 MAR 2008

पत्र नं० 132/2008
पत्र नं० 122/2008

004520

INDIA

प्रति श्री १०८० नं० काशीनाथ बावरी
के आदेश के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि
प्रमाणित किया जाता है कि प्रमाणित किया जाता है कि
प्रमाणित किया जाता है कि प्रमाणित किया जाता है कि
प्रमाणित किया जाता है कि प्रमाणित किया जाता है कि

प्रमाणित किया जाता है

प्रमाणित किया जाता है





12

फरीक दोयम से कुल या आंशिक रूप से निकल जावेगी तो हर ऐसी दशा में फरीक दोयम को हक होगा कि वह उस समय की बजार कीमत को जिस प्रकार चाहे बजरिये अदालत फरीक अव्वल व वारसान फरीक अव्वल की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लें तो

फरीक दोयम

फरीक दोयम

कार्यालय उप कौषागाह
दावरी

7 MAR 2008

स्टाम्प नं० 133 ल० 133
स्टाम्प नं० 132 में शामिल किया गया
उप रोक दिया

004527

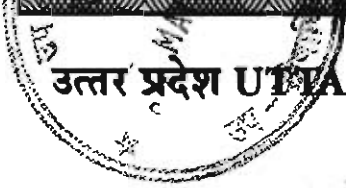
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश सरकार
आज के दिने
उत्तर प्रदेश सरकार
आज के दिने

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13

C 749349

कोई ऐतराज नहीं होगा। दाखिल खारिज बेची भूमिधरी का बनाम फरीक दोयम के करा दूंगा या फरीक दोयम इस विक्रय पत्र के आधार पर सरकारी अभिलेखों में अपना नाम स्वयं दर्ज करा लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तथा आस-पास भी कृषि भूमि है।

लुटियाजी



सुबोधुमा



35
 7/4/08
 साम्य कव करवे का प्रयोजन
 साम्य केंद्र का नाम व पूरा पता
 साम्य की धनराशि

कृष्ण कुमार प्र. लो. गुरुदास/नं. 1/1/1/1

कमल कुमार साम्य विभाग
 बा. नं. 9- मजि 31-3-200
 वहीच कम्प्यूटर बावरी (सी. व. व. व.)
 बिडन सीमा 15000/-

साम्य का प्रयोजन साम्य केंद्र का नाम व पूरा पता साम्य की धनराशि
 साम्य केंद्र का नाम व पूरा पता साम्य की धनराशि
 साम्य केंद्र का नाम व पूरा पता साम्य की धनराशि
 साम्य केंद्र का नाम व पूरा पता साम्य की धनराशि





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 223534

14

विवरण धन अदायगी :- अंकन 23,50,000/- रुपये पेशगी फरीक अव्वल (विक्रेता) ने फरीक दोयम (क्रेता) से प्राप्त कर लिये। अब कोई पैसा विक्रेता का क्रेता की ओर बाकी नहीं रहा है।

नरेश कुमार

सुगण कुमार

बहुतीय सम्पत्तिका दायरी। श्री. य. शर्मा।
चिह्नी सीमा 15000/-

41

गिण्टी प्रिन्ट - १,००,०२,६३ रुकक - : विडावाड तह प्रिन्टि
। गिरी प्रिन्ट तह प्रि (गिरी) प्रिन्टि करि तह प्रि (गिरी) प्रिन्टि करि तह प्रि
। ई तह प्रि विडावाड प्रिन्टि कि प्रिन्टि तह प्रिन्टि प्रिन्टि प्रिन्टि प्रिन्टि प्रिन्टि





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 223535

15

उपरोक्त लिखित दस्तावेज फरीक अव्वल व फरीक दोयम की जानकारी के आधार पर तैयार की गयी। दस्तावेज पर चस्पा फोटो गवाहों के कथन पर सत्यापित है।

नरेश कुमार



रुण कुमार



3) 7/3/08
 3) ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~
 ... ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~
 ... ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~
 ... ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~

बशोक कुमार स्टाम्प डिप्लोमा
 बा. नं. 9- अवधि 1-3-2000
 इंडीयन कम्युनिकेशन बावरी (सी. नं. 1000)
 बिडो सीमा 15000/-

0001

0001

...

21

...
 ...
 ...

...





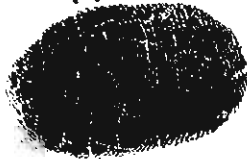
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 223536

16

अतः यह विक्रय पत्र कर्तई लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे। इति॥

नरेंद्र कुमार



रुबल कुमार



गवाह - 1 दीर्घा
ER काम S/O काम प्रकाश
नरेंद्र कुमार

गवाह - 2
अवध निदेशिका के निदेश पर
गवाह दावे

7/03/08

तारीख 07-03-2008 ई0 मसौदाकर्ता राधेश्याम अग्रवाल, बैनामा
 लेखक, दादरी (गौतमबुद्धनगर) लाइसेन्स नं0-राधेश्याम अग्रवाल

बैनामा लेखक, दादरी, नं0-1
 तहसील-दादरी जिला-गौतमबुद्धनगर

38
 35
 7/4/00
 काम करने का प्रयोजन
 काम केता का नाम व पता
 काम की धनराशि

बनोक कुमार स्टाम्प विक्रेता
 बा. नं. 9- बरह 1-3-200
 बहसीक कम्पनय बादरी (हो. 3. बरह)
 बिहारी सीका 15000/-

मप एकद पाँच डे पामर को पाँचो हफ्ते मप एकद डे मप
 11 तिह । तिह मप

आज दिनांक 7/3/00 को फोटोस्टेट
 ति पुस्तक संख्या T खण्ड संख्या 11.65
 के पृष्ठ 258 पर क्रम संख्या 2724
 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

Shail
 उप निबन्धक
 दादरी

